दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 13 सितंबर, 2024

आप.अनु.या. 182/2023 और आप.वि.आ. 9276/2023

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रितेश कुमार बहरी, विद्वान अति.लो.अभि. सह श्री ललित लूथरा, अधिवक्ता।
निरीक्षक अभिजीत सिंह, पुलिस थाना गीता कॉलोनी।

बनाम

श्याम किशोर उर्फ़ पूतन .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित शर्मा

<u>न्या. प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड के माध्यम से की गई है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 378 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें 31 अगस्त, 2021 को अति.सत्र.न्या.-01, विशेष न्यायालय, पॉक्सो, पूर्वी ज़िले द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए अपील

की अनुमति देने की माँग की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को बरी कर दिया गया है।

3. वर्तमान मामले में कथित घटना 9 जुलाई, 2015 की है, जिसके अनुसार 10 जुलाई, 2015 को गीता कॉलोनी (पूर्व) पुलिस थाना में भा.दं.सं. की धारा 354/354(क) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8/12 के अंतर्गत ***प्राथमिकी सं. 418/2015*** दर्ज की गई थी। प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप यह था कि उसने पीड़ित बच्ची पर यौन उत्पीड़न किया था। परिवादी पीड़िता की माँ थी, जिसकी परीक्षा अभि.सा.-3 के रूप में की गई।

4. विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को तीन व्यापक आधारों पर बरी किया है:

i) चिकित्सा अभिलेख अर्थात् 10 जुलाई 2015 के चिकित्सा विधिक मामले ***(प्र.अभि.सा. 7/क)*** में पीड़िता पर किसी चोट का पता नहीं चला, जबकि चिकित्सा परीक्षण उसी दिन अर्थात् 10 जुलाई 2015 को किया गया था, जब पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया था कि उसे पीड़िता पर चोट के निशान और काटने के निशान मिले थे;

(ii) दूसरा आधार जिस पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को बरी किया है, वह यह है कि पीड़िता विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परिसाक्ष्य में प्रत्यर्थी-अभियुक्त को पहचानने में विफल रही। विचारण न्यायालय ने यह

उल्लेख किया है कि पीड़िता की मुख्य परीक्षा में जब अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़िता को दिखाया गया तो उसके दाढ़ी-मूंछें थीं। हालाँकि, पीड़िता ने दावा किया था कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ कथित कृत्य किया, वह एक बिना दाढ़ी-मूंछों वाला आदमी था;

iii) विचारण न्यायालय ने यह भी दर्ज किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता को उसकी माँ द्वारा सिखाया जा रहा था, और पीड़िता की 'चाची', जिसके सामने पीड़िता ने सबसे पहले घटना के बारे में बताया था, की भी परीक्षा नहीं की गई। आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

> *"38. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभि.सा.3/पीड़िता की माँ ने गवाही दी कि उसने 10.07.2015 को सुबह लगभग 9/10 बजे पीड़िता की छाती और गुप्तांग के पास कुछ काटने के निशान देखे और यदि यह सही है, तो यह संभव नहीं है कि 09.07.2015 की शाम को हुए कथित काटने के निशान 10/07/2015 की शाम को पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान संबंधित चिकित्सक को नहीं दिखें। विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि मानव शरीर पर काटने के निशान काटने वाले व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए बल पर निर्भर करते हैं। अतः केवल इसलिए कि संबंधित चिकित्सक ने काटने के निशान नहीं देखे, इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़िता ने झूठी गवाही दी है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने 'पुलिस निरीक्षक बनाम दिनेश' आप.अपील सं. 41/2021*

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 12.03.2021 को निर्णीत मामले पर भरोसा किया।

39. यह ध्यान देने योग्य बात है कि पीड़िता ने अपनी शिकायत प्र.अभि.सा.1/क में और दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत 16.07.2015 के अपने बयान प्र.अभि.सा.1/ख में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अभियुक्त ने उसकी छाती और गुप्तांग पर दाँतों से काटा था। पीड़िता का 10.07.2015 को लगभग 6 बजे शाम को एमएलसी प्र.अभि.सा.7/क के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, संबंधित चिकित्सक ने एमएलसी में देखा कि एल/ई - कोई ताज़ा बाहरी चोट नहीं देखी गई और ओ/ई - बाहरी चोट का कोई निशान नहीं देखा गया। एमएलसी में यह भी दर्ज है कि पीड़िता की माँ ने उसके आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण से इनकार कर दिया था। इसलिए जाँच अधिकारी ने 24/07/2015 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत पीड़िता का बयान फिर से दर्ज किया, जिसमें पीड़िता ने कहा कि अंकल ने उसके निप्पल चूसने शुरू कर दिए और इस कारण से, उसकी छाती पर कोई काटने का निशान नहीं था और उसके इसी बयान में, उसने पहले काटने की बात कही थी। पीड़िता के एमएलसी और 24.07.2015 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत उसके बयान से यह स्पष्ट है कि पीड़िता की छाती और गुप्तांग पर काटने का कोई निशान नहीं था। इसलिए, पीड़िता के परिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसकी छाती और गुप्तांग पर काटा था और आगे अभि.सा.3 के परिसाक्ष्य कि उसने उक्त काटने के निशान देखे थे, में

कोई बल नहीं है और इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

xxx xxx xxx

43. इसके अतिरिक्त, अभि.सा.1 के अनुसार, वह कथित घटना के दिन अपनी दादी के घर गई थी और वह अपनी बहन 'एस' के साथ खेल रही थी, तभी अभियुक्त वहाँ आया और उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहा। अभि.सा.4, अभि.सा.1 का दादा है, उसने गवाही दी कि घटना के दिन वह और उसकी पत्नी इरविन अस्पताल गए थे, इसलिए वे घटना के समय उपस्थित नहीं थे। अभि.सा.3 के अनुसार, इमारत की पहली मंज़िल पर दो कमरे हैं, एक कमरे में अभियुक्त किरायेदार था और दूसरे कमरे में उसके सास और ससुर रहते थे, लेकिन उस दिन वे वहाँ नहीं थे। अभि.सा.3 और अभि.सा.4 के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के कथित दिन पीड़िता के दादा-दादी अपने कमरे में उपस्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष का कोई भी साक्षी नहीं है जिसने यह गवाही दी हो कि घटना के कथित दिन उसने पीड़ित बच्चे को पहली मंज़िल पर खेलते हुए या खेलने के लिए वहाँ आते हुए देखा था।

xxx xxx xxx

45. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष उन आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा है जो अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में परिभाषित अनुमान को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष का

मामला विफल हो जाता है। तदनुसार, अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत लगाए गए अपराधों से बरी किया जाता है।"

5. विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पीड़िता के परिसाक्ष्य और उसकी माँ के परिसाक्ष्य में कोई समानता नहीं है, क्योंकि पीड़िता और उसकी माँ द्वारा बताई गई घटनाओं का वर्णन मेल नहीं खाता है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अति.ले.अभि. श्री बाहरी ने, वर्तमान अपील की अनुमति दाखिल करने में 372 दिनों की देरी के आधार पर, सबसे पहले यह प्रस्तुत किया कि यह देरी विद्वान अति.लो.अभि. के कार्यालय में परिवर्तन और फ़ाइल को चिह्नित करने में देरी के कारण हुई।

7. विद्वान अति.लो.अभि. ने गुणागुण के आधार पर आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है और मात्र इस तथ्य के आधार पर, कि वह 12 वर्ष की एक बच्ची थी जो यह नहीं समझ पाई कि घटना और मुख्य परीक्षा के बीच की अवधि में अभियुक्त ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, उसे बरी नहीं किया जा सकता।

8. दूसरी ओर, अभियुक्त-प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित बच्ची के परिसाक्ष्य में वह अभियुक्त को पहचानने में भी विफल रही। दूसरी बात यह कि चिकित्सीय परीक्षण में उस पर कोई चोट नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त,

विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता अभियुक्त की पहचान नहीं कर पाई है और मुख्य परीक्षा से पहले पीड़ित बच्ची को सिखाया-पढ़ाया गया था।

9. सुनवाई की और अभिलेख का परिशीलन किया गया। न्यायालय ने 10 जुलाई 2015 के एमएलसी ***(प्र.अभि.सा.7/क)*** का परिशीलन किया। पीड़िता का परीक्षण 10 जुलाई, 2015 को शाम 6:00 बजे किया गया थी, जो कि वही दिन है जिस दिन माँ ने दावा किया था कि पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हालाँकि, एमएलसी में दर्ज है कि कोई ताज़ा बाहरी चोट नहीं देखी गई है। एमएलसी पूरी तरह से माँ के परिसाक्ष्य का खंडन करती है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वह अभियुक्त को नहीं पहचानती है। परिसाक्ष्य का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"..... इस चरण में, अभियुक्त को परदे वाले कमरे से बाहर निकाला जाता है और वीडियो कैमरे के माध्यम से साक्षी को दिखाया जाता है। अभियुक्त को देखने के बाद,* ***साक्षी बयान देती है कि उसने आज से पहले कभी भी अभियुक्त को नहीं देखा है।****"*

10. प्रति-परीक्षा में भी पीड़िता ने बयान दिया कि उसे उसकी माँ ने बताया था कि उसे माननीय न्यायाधीश के सामने क्या कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि

जैसाकि एमएलसी में दर्ज है, परिवार ने पीड़िता का आंतरिक परीक्षण कराने से भी इनकार कर दिया है।

11. विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने आरोप लगाया है कि पूरा मामला अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या रूप से गढ़ा गया था क्योंकि वह परिवादी के ससुर की संपत्ति में किरायेदार था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक कमरे में रह रहा था और यह घटना उनके द्वारा अनदेखा नहीं की जा सकती थी, यह देखते हुए कि कथित घटना के समय पीड़ित बच्ची 12 साल की थी।

12. इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होता है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. अपील की अनुमति हेतु याचिका को विलंब तथा गुणागुण दोनों के आधार पर अस्वीकृत किया जाता है।

14. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

अमित शर्मा
न्यायाधीश

13 सितंबर, 2024
राहुल/एमएस/पीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*